

15-01-21

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी जवाब प्रार्थना-पत्र शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधि-वक्ता ने अवागत कराया कि जवाब से प्रति-प्रार्थी अधिवक्ता को उपलब्ध करा दी गई है। बहस हेतु उभय पक्ष ने सहमति जाहिर की। प्रार्थी अधिवक्ता ने अवागत कराया कि मौजा कनवई, परिवार हल्का कनवई के खसरा सं. 1405 एवं 1406 कनवई से सरेरा जाने वाले रास्ते के किनारे हैं और अप्रार्थीगण सं. 1 से 3 के घर के पास हैं। कि उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण अतिक्रमण कर अनाधिकृत रूप से काबिज होना चाहते हैं। साथ ही अप्रार्थीगणों द्वारा उक्त खसरो में जबरन मलबा डालकर अतिक्रमण का प्रयास किया जा रहा है। अप्रार्थीगणों की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने जवाब में कथन किया कि प्रार्थीगण का की भूमि एवं विपक्षीगण के मकान के बीच में कनवई से सरेरा जाने वाला आम रास्ता है जहाँ सरकारी पक्की सड़क बनी हुई है; सड़क के स्वतंत्रता प्रार्थीगण की भूमि है एवं दूसरी तरफ विपक्षी सं. 1 से 3 का 70-80 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है। साथ ही प्रार्थीगण की जमीन जो रोड से दूसरी ओर है अविवादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण कर कब्जा करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है और जो मकान मय डुबान बना है वह पुराना निर्माण है। एवं स्वयं की रिकॉर्ड डेड अबादी भूमि में बने हैं। बहस सुनी गई। दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों साक्ष्यों एवं दलीलों पर मनन किया गया। दोनों पक्षकारों के मकान एवं जमीन के मध्य कनवई से सरेरा जाने वाली पक्की सड़क बनी हुई है इसलिए अप्रार्थीगणों द्वारा प्रार्थी की भूमि पर अतिक्रमण किया जाना संभव प्रतीत नहीं होगा। साथ ही




अहकाम
म की
री हुए

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम
जो इस हुकम की
तामील में जारी हुए

इस बाबत कोई ठोस सबूत या साक्ष्य
प्रस्तुत करने में भी असफल रहे हैं।
चूंकि कोई अपूर्ण्य क्षति होना साबित
नहीं होता; ना ही सुविधा का संतुलन
प्रार्थीगण के पक्ष में होना पाया गया,
उक्त प्रार्थना-पत्र सारहीन हैं, अतः
स्वार्थित किया जाता है।

पत्रावली संख्या से कम होकर
दाखिल दफ्तर हो।



15/01
सहायक कमलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
खेरवाडा, जि. उदयपुर (राज.)